बन्दी अधिनियम, 1900

धाराओं का क्रम

धाराएं

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार ।

2. परिभाषाएं ।

भाग 2

साधारण

3. कारागारों के भारसाधक अधिकारियों का ऐसे व्यक्तियों को निरुद्ध रखना जो उनकी अभिरक्षा के लिए सम्यक् रूप से सुपुर्द किए गए हैं ।

4. कारागारों के भारसाधक अधिकारियों द्वारा रिटों, आदि का निष्पादन या उन्मोचन के पश्चात् वापस किया जाना ।

भाग 3

प्रेसिडेन्सी नगरों में बन्दी

5. वारण्टों, आदि का पुलिस अधिकारियों को निदिष्ट किया जाना ।

6. प्रेसिडेन्सी कारागारों के अधीक्षकों को नियुक्त करने की राज्य सरकारों की शक्ति ।

7. उच्च न्यायालय द्वारा कारावास या मृत्यु के दण्डादिष्ट व्यक्तियों का परिदान ।

8. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वासन के दण्डादिष्ट व्यक्तियों का परिदान ।

9. किसी डिक्री के निष्पादन में या अवमान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सुपुर्द किए गए व्यक्तियों का परिदान ।

10. प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटों द्वारा दण्डादिष्ट व्यक्तियों का परिदान ।

11. उच्च न्यायालय द्वारा विचारणार्थ सुपुर्द किए गए व्यक्तियों का परिदान ।

12. दिवाले के आवेदन की कोड आफ सिविल प्रोसीजर की धारा 350 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई होने तक अभिरक्षा ।

13. उच्च न्यायालय या प्रसिडेन्सी नगर में सिविल न्यायालय के वारण्ट के अनुसरण में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का परिदान ।

भाग 4

प्रेसिडेन्सी नगरों के बाहर के बन्दी

14. इस भाग में कारागारों, आदि के प्रति निर्देशों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाना मानो वे सुधार विद्यालयों के प्रति भी निर्देश हैं ।

15. कुछ न्यायालयों के दण्डादेशों को प्रभावी करने के लिए कारावासों के भारसाधक अधिकारियों की शक्ति ।

16. ऐसे न्यायालय के अधिकारी के वारण्ट का पर्याप्त प्राधिकार होना ।

17. जहां कारागार का भारसाधक अधिकारी इस भाग के अधीन उसे निष्पादन के लिए भेजे गए किसी वारण्ट की वैधता में सन्देह करे वहां प्रक्रिया ।

18. कुछ ऐसे मृत्यु दंडादेशों का जो राज्यों में सामान्यत: निष्पादनीय न हों, उन राज्यों में निष्पादन ।

धाराएं

भाग 5—[निरसित]

भाग 6

बन्दियों का हटाया जाना

28. इस भाग में कारागारों आदि के प्रति निर्देशों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाना मानो वे सुधार विद्यालयों के प्रति भी निर्देश हैं।

29. बन्दियों का हटाया जाना।

30. पागल बन्दियों के संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई की जाए।

31. [निरसित।]

भाग 7

निर्वासन के दण्डादेश के अधीन व्यक्ति

32. निर्वासन के दण्डादेश के अधीन व्यक्तियों को निरुद्ध रखने के स्थानों का नियत किया जाना और उन्हें वहां भेजा जाना।

भाग 8

बन्दियों का उन्मोचन

33. ऐसे बन्दी का, जिसे क्षमा करने की सिफारिश की गई है, उच्च न्यायालय के आदेश से मुचलके पर छोड़ा जाना।

भाग 9

बन्दियों की हाजिरी की अपेक्षा करने और उनका साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित उपबन्ध

34—53. [निरसित।]

प्रथम अनुसूची—[निरसित।]

[द्वितीय अनुसूची।]—[निरसित।]

[तृतीय अनुसूची।]—[निरसित।]

बन्दी अधिनियम, 1900

(1900 का अधिनियम संख्यांक 3)[1]

[2 फरवरी, 1900]

किसी न्यायालय के आदेश से परिरुद्ध बन्दियों के सम्बन्ध में विधि का समेकन करने के लिए
अधिनियम

यह समीचीन है कि किसी न्यायालय के आदेश से परिरुद्ध बन्दियों के सम्बन्ध में विधि का समेकन किया जाए; अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बन्दी अधिनियम, 1900 है ।

[2][(2) इसका विस्तार, [3][उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय [3][जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व] भाग ख राज्यों [3][में समाविष्ट थे], सम्पूर्ण भारत पर है ।] [4]***

[4]* * * * *

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "न्यायालय" के अन्तर्गत कोई कारोनर तथा ऐसा अधिकारी भी है, जो सिविल, दांडिक या राजस्व अधिकारिता का विधिपूर्वक प्रयोग करता है; और

(ख) "कारागार" के अन्तर्गत ऐसा स्थान भी है, जिसे राज्य सरकार ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उपकारागार घोषित किया है;

[5][(ग) "राज्यों" से वे सभी राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है ।]

भाग 2

साधारण

3. कारागारों के भारसाधक अधिकारियों का ऐसे व्यक्तियों को निरुद्ध रखना जो उनकी अभिरक्षा के लिए सम्यक् रूप से सुपुर्द किए गए हैं—किसी कारागार का भारसाधक अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अथवा अन्यथा, किसी न्यायालय द्वारा उसकी अभिरक्षा के लिए सम्यक् रूप से सुपुर्द किए गए सभी व्यक्तियों को किसी ऐसे रिट, वारण्ट या आदेश की, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द किया गया है, अभ्यावश्यकता के अनुसार लेगा और निरुद्ध रखेगा अथवा तब तक निरुद्ध रखेगा जब तक ऐसा व्यक्ति विधि के सम्यक् अनुक्रम में उन्मोचित नहीं कर दिया जाता या हटा नहीं दिया जाता ।

---

[1] यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू करने के लिए संशोधित किया गया :—
(1) मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम, 1939 (1939 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 4) द्वारा मध्य प्रान्त और बरार पर;
(2) 1956 के बिहार अधिनियम सं० 23 द्वारा बिहार पर;
(3) 1958 के मद्रास अधिनियम सं० 11 द्वारा मद्रास पर;
(4) 1959 के मुम्बई अधिनियम सं० 15 द्वारा मुम्बई पर (अधिसूचना की तारीख से);
(5) 1960 के विनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी पर ।
इस अधिनियम का विस्तार—
(1) 1958 के मध्य प्रदेश अधिनियम सं० 23 द्वारा सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर (अधिसूचना की तारीख से);
(2) 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर;
(3) 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर;
(4) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप पर;
(5) 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर;
किया गया ।
1960 के राजस्थान अधिनियम सं० 39 द्वारा यह अधिनियम राजस्थान में निरसित किया गया ।
1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा भाग 9 बेल्लारी जिले को लागू होने के लिए निरसित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और" शब्द और उपधारा (3) निरसित ।

[5] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती खण्ड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित जो कि विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया था ।

4. कारागारों के भारसाधक अधिकारियों द्वारा रिटों, आदि का निष्पादन या उन्मोचन के पश्चात् वापस किया जाना—किसी कारागार का भारसाधक अधिकारी, यथा पूर्वोक्त प्रत्येक ऐसे रिट, आदेश या वारण्ट का, जो विचारण के लिए सुपुर्दगी के वारण्ट से भिन्न है, निष्पादन करने के पश्चात् अथवा ऐसे रिट, आदेश या वारण्ट द्वारा सुपुर्द किए गए व्यक्ति के उन्मोचन के पश्चात्, वह रिट, आदेश या वारण्ट उस न्यायालय को वापस कर देगा जिसने वह जारी किया था या दिया था, और उसके साथ एक प्रमाणपत्र देगा जिस पर वह पृष्ठांकन और हस्ताक्षर करेगा और जिसमें यह दिखाया जाएगा कि उसका निष्पादन किस प्रकार किया गया है या उसके द्वारा सुपुर्द किए गए व्यक्ति को, उसके निष्पादन से पूर्व, अभिरक्षा से क्यों उन्मोचित कर दिया गया है ।

भाग 3

प्रेसिडेन्सी नगरों में बन्दी

5. वारण्टों, आदि का पुलिस अधिकारियों को निदिष्ट किया जाना—किसी उच्च न्यायालय द्वारा, उसकी मामूली, गैर मामूली या अन्य दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जारी की गई प्रत्येक रिट या वारण्ट, ऐसी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट किया जाएगा और वह अधिकारी उसका निष्पादन करेगा ।

6. प्रेसिडेन्सी कारागारों के अधीक्षकों को नियुक्त करने की राज्य सरकारों की शक्ति—राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें इस भाग के अधीन उनकी अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए गए बन्दियों को लेने और निरुद्ध करने का प्राधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, उसका पदनाम चाहे जो हो, इसमें इसके पश्चात्, "अधीक्षक" कहा गया है ।

7. उच्च न्यायालय द्वारा कारावास या मृत्यु के दण्डादिष्ट व्यक्तियों का परिदान—जहां किसी उच्च न्यायालय द्वारा, उसकी आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में, किसी व्यक्ति को कारावास या मृत्यु का दण्डादेश दिया गया है वहां न्यायालय, अपने वारण्ट सहित, उसे अधीक्षक को परिदत्त कराएगा, और ऐसे वारण्ट का अधीक्षक निष्पादन करेगा और निष्पादन करने के पश्चात् उच्च न्यायालय को लौटाएगा ।

8. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वासन के दण्डादिष्ट व्यक्तियों का परिदान—जहां किसी उच्च न्यायालय द्वारा उसकी आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किसी व्यक्ति को निर्वासन का [1]*** दण्ड दिया गया है वहां न्यायालय उसे अन्त:कालीन अभिरक्षा के लिए अधीक्षक को परिदत्त कराएगा और ऐसे व्यक्ति का निर्वासन [1]*** ऐसे परिदान से प्रारम्भ हुआ समझा जाएगा ।

9. किसी डिक्री के निष्पादन में या अवमान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सुपुर्द किए गए व्यक्तियों का परिदान—जहां उच्च न्यायालय द्वारा, चाहे किसी डिक्री के निष्पादन में या न्यायालय के अवमान के लिए या किसी अन्य कारण से, कोई व्यक्ति सुपुर्द किया गया है वहां न्यायालय, सुपुर्दगी के अपने वारण्ट सहित, उसे अधीक्षक को परिदत्त कराएगा ।

10. प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटों द्वारा दण्डादिष्ट व्यक्तियों का परिदान—जहां किसी प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को, परिशान्ति कायम रखने के लिए अथवा सदाचारी होने के लिए प्रतिभूति न पा सकने के कारण, कारावास का दण्ड दिया गया है, या उसे कारागार सुपुर्द किया गया है, वहां मजिस्ट्रेट, अपने वारण्ट सहित, उसे अधीक्षक को परिदत्त कराएगा ।

11. उच्च न्यायालय द्वारा विचारणार्थ सुपुर्द किए गए व्यक्तियों का परिदान—प्रत्येक व्यक्ति जो किसी मजिस्ट्रेट [2][या जस्टिस आफ दि पीस] द्वारा इसलिए सुपुर्द किया गया है कि उसका उच्च न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में विचारण किया जाए, सुपुर्दगी के वारण्ट के साथ जिसमें अधीक्षक को ऐसे व्यक्ति के विचारण के लिए उस न्यायालय के समक्ष पेश करने का निदेश दिया जाएगा, अधीक्षक को परिदत्त किया जाएगा और अधीक्षक यथासाध्य शीघ्रता से उस व्यक्ति को, सुपुर्दगी के वारण्ट के साथ उस न्यायालय को उसके दांडिक सत्र के दौरान भिजवाएगा जिससे उसके सम्बन्ध में विधि के अनुसार कार्रवाई की जा सके ।

12. दिवाले के आवेदन की कोड आफ सिविल प्रोसीजर की धारा 350 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई होने तक अभिरक्षा—उच्च न्यायालय, कोड आफ सिविल प्रोसीजर (1882 का 14) की[3] धारा 350 के अधीन दिवाले की घोषणा के किसी आवेदन की सुनवाई होन तक, सम्बन्धित निर्णीतऋणी को, उक्त कोड की[3] धारा 349 के अधीन प्रतिभूति पर छोड़े जाने के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अधीक्षक को परिदत्त करा सकेगा, और अधीक्षक उक्त निर्णीतऋणी को तब तक निरापद अभिरक्षा में निरुद्ध रखेगा जब तक उसे, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उसके समक्ष ले जाने के प्रयोजनार्थ, उस न्यायालय के किसी अधिकारी को पुन: परिदत्त नहीं किया जाता या विधि के सम्यक् अनुक्रम में उसे छोड़ नहीं दिया जाता ।

13. उच्च न्यायालय या प्रसिडेन्सी नगर में सिविल न्यायालय के वारण्ट के अनुसरण में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का परिदान—(1) उच्च न्यायालय की आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में उस न्यायालय के किसी रिट, वारण्ट या आदेश के अनुसरण में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अधिनियमिति के अधीन किसी प्रेसिडेन्सी नगर में स्थापित किसी सिविल न्यायालय के

---

[1] 1949 के अधिनियम सं० 17 की धारा 4 द्वारा "या दंड दासता" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1908 के अधिनियम सं० 4 की धारा 13 द्वारा "जस्टिस आफ दि पीस, या कारोनर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] इस निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाना चाहिए मानो वह प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का 5) को लागू होता हो, उस अधिनियम की धारा 83(2) देखिए ।

वारण्ट के अनुसरण में, या धारा 5 के अधीन जारी किए गए किसी वारण्ट के अनुसरण में, गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति अविलम्ब उस न्यायालय के समक्ष, जिसके द्वारा या जिसके न्यायाधीश द्वारा, वह रिट, वारण्ट या आदेश जारी किया गया या निकाला गया था या किया गया था, या यदि उक्त न्यायालय या उसका न्यायाधीश उस समय आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए आसीन है तो उसके किसी न्यायाधीश के समक्ष, लाया जाएगा ।

(2) यदि उक्त न्यायालय, या उसका न्यायाधीश, आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उस समय आसीन नहीं है तो यथा पूर्वोक्त गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, जब तक उक्त न्यायालय का न्यायाधीश अन्यथा निदेश न दे, अन्त:कालीन अभिरक्षा के लिए अधीक्षक को परिदत्त किया जाएगा, और उक्त न्यायालय या उसके न्यायाधीश के समक्ष, आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए होने वाली उक्त न्यायालय की अगली बैठक में लाया जाएगा ताकि उस व्यक्ति के सम्बन्ध में विधि के अनुसार कार्रवाई की जा सके, और उक्त न्यायालय या न्यायाधीश को उस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक आदेश करने या वारण्ट निकालने की शक्ति होगी ।

भाग 4

प्रेसिडेन्सी नगरों के बाहर के बन्दी

14. इस भाग में कारागारों, आदि के प्रति निर्देशों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाना मानो वे सुधार विद्यालयों के प्रति भी निर्देश हैं—इस भाग में, कारागारों या कारावास या परिरोध के प्रति सभी निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो वे निर्देश सुधार विद्यालयों के अथवा उसमें निरोध के प्रति भी हैं ।

[1][**15. कुछ न्यायालयों के दण्डादेशों को प्रभावी करने के लिए कारावासों के भारसाधक अधिकारियों की शक्ति**—(1) प्रेसिडेन्सी नगरों के बाहर के कारागारों के भारसाधक अधिकारी किसी व्यक्ति के निरोध के लिए किसी ऐसे दण्डादेश या आदेश या वारण्ट को कार्यान्वित कर सकेंगे, जो—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, या बर्मा सरकार के साधारण या विशेष प्राधिकार के अधीन, चाहे राज्यों के भीतर या उनके बाहर, कार्य करने वाले किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा, या किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण द्वारा, पारित या जारी किया गया था, जो संविधान के प्रारंभ से पूर्व हिज मजेस्टी या क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव के साधारण या विशेष प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा था; अथवा

(ख) किसी भारतीय राज्य के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा 26 जनवरी, 1950 से पूर्व पारित या जारी किया गया था,—

(i) यदि पीठासीन न्यायाधीश, अथवा यदि न्यायालय या अधिकरण दो या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बना है तो उन न्यायाधीशों में से कम से कम एक न्यायाधीश, क्राउन का ऐसा अधिकारी रहा हो, जो उस राज्य या उसके शासक द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा या क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा ऐसे न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(ii) यदि किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण द्वारा दण्डादिष्ट व्यक्तियों का भारत के किसी प्रान्त में लिया जाना अथवा उनका निरोध, या कारावास राज्य सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया है : [2]***

[2]* * * * * *

परन्तु निरोध के किसी ऐसे दण्डादेश या आदेश या वारण्ट को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा जो सम्बन्धित राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, बर्मा के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित या जारी किया गया है ।

(2) जहां यथा पूर्वोक्त किसी भारतीय राज्य के किसी न्यायालय या अधिकरण ने कोई ऐसा दण्डादेश पारित किया था जो क्राउन के किसी अधिकारी की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं हो सकता था, और उस दण्डादेश पर उस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे अधिकारी द्वारा गुणागुणों के आधार पर विचार हो चुका था और उसे पुष्ट किया जा चुका था वहां ऐसा दण्डादेश, और उसके अनुसरण में जारी किया गया कोई आदेश या वारण्ट, केन्द्रीय सरकार या क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव के प्राधिकार के अधीन काम करने वाले किसी न्यायालय या अधिकरण का दण्डादेश, आदेश या वारण्ट समझा जाएगा ।

16. ऐसे न्यायालय के अधिकारी के वारण्ट का पर्याप्त प्राधिकार होना—धारा 15 में यथा निर्दिष्ट किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी अधिकारी के पदीय हस्ताक्षर से निकाला गया वारण्ट, किसी व्यक्ति के विरुद्ध पारित दण्डादेश के अनुसरण में, उस व्यक्ति को परिरोध में रखने अथवा किसी व्यक्ति को निर्वासन के लिए भेजने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा ।

17. जहां कारागार का भारसाधक अधिकारी इस भाग के अधीन उसे निष्पादन के लिए भेजे गए किसी वारण्ट की वैधता में सन्देह करे वहां प्रक्रिया—(1) जहां किसी कारागार का कोई भारसाधक अधिकारी, इस भाग के अधीन उसे निष्पादन के लिए भेजे गए किसी वारण्ट या आदेश की वैधता में, या उस व्यक्ति की, जिसकी पदीय मुद्रा अथवा हस्ताक्षर उसमें हों, उस दण्डादेश को पारित करने

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा शब्द "अथवा" और खंड (ग) का लोप किया गया ।

और वारण्ट या आदेश जारी करने में सक्षमता के बारे में सन्देह करता है वहां वह उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगा उस मामले में राज्य सरकार के आदेश से उसका तथा अन्य सभी लोक अधिकारियों का, उस बन्दी के भावी निपटारे के बारे में, मार्गदर्शन होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए निर्देश के लम्बित रहने तक, बन्दी को ऐसी रीति से और ऐसे निर्बन्धनों पर अथवा दंड में ऐसी कमी करते हुए निरुद्ध रखा जाएगा जो वारण्ट या आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

18. कुछ ऐसे मृत्यु दंडादेशों का जो राज्यों में सामान्यत: निष्पादनीय न हों, उन राज्यों में निष्पादन—(1) जहां [1][केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार से स्थापित किसी न्यायालय] ने राज्यों की सीमाओं के बाहर के किसी राज्यक्षेत्र में, या उसके सम्बन्ध में, ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, जो ऐसे राज्यक्षेत्र में [2][[3][केन्द्रीय सरकार]] की है,—

(क) किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्डादेश दिया है, और

(ख) अपनी यह राय होने पर कि उस राज्यक्षेत्र में उस व्यक्ति के परिरोध के लिए कोई सुरक्षित स्थान न होने के कारण अथवा शिष्ट या मानवीय रीति से उसे फांसी देने के उपयुक्त साधित्र न होने के कारण ऐसे दण्डादेश को राज्यों में निष्पादित किया जाना चाहिए, ऐसे दण्डादेश के निष्पादन के लिए, राज्यों के किसी कारागार के भारसाधक अधिकारी को अपना वारण्ट जारी किया है,

वहां वह अधिकारी, वारण्ट प्राप्त हो जाने पर, उसका निष्पादन ऐसे स्थान पर, जो उसमें विहित किया जाए, ऐसी रीति से, और सभी बातों में उन्हीं दशाओं के अधीन कराएगा मानो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 381 के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से जारी किया गया कोई वारण्ट हो ।

(2) वे कारागार, जिनके भारसाधक अधिकारियों को यथा पूर्वोक्त किन्हीं वारण्टों के अधीन दण्डादेशों का निष्पादन करना है, [4][प्रत्येक राज्य में वे होंगे जिन्हें राज्य सरकार] साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे ।

[5]* * * * *

[भाग 5—कठोरश्रम कारावास के दण्डाधीन व्यक्ति—धाराएं 19-27]—क्रिमिनल ला (रिमूवल आफ रेसियल डिसक्रीमिनेशन्स) ऐक्ट, 1949 (1949 का 17) धारा 4 द्वारा निरसित ।]

भाग 6

बन्दियों का हटाया जाना

28. इस भाग में कारागारों आदि के प्रति निर्देशों का इस प्रकार अर्थ लगाया जाना मानो वे सुधार विद्यालयों के प्रति भी निर्देश हैं—इस भाग में, कारागारों या कारावास या परिरोध के प्रति सभी निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो वे निर्देश सुधार विद्यालयों के अथवा उसमें निरोध के प्रति भी हैं ।

[6][**29. बन्दियों का हटाया जाना**—(1) [7][राज्य सरकार] किसी बन्दी को, जो—

(क) मृत्यु दण्डादेश के अधीन; अथवा

(ख) कारावास या निर्वासन के दण्डादेश के अधीन, या उसके बदले में; अथवा

(ग) जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में; अथवा

(घ) परिशांति कायम रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने के व्यतिक्रम में,

किसी कारागार में परिरुद्ध है, हटाकर [8][उस राज्य [9]***] के किसी अन्य कारागार में भेजने की व्यवस्था, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कर सकेगी ।

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश न्यायालय" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा "क्राउन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "ऐसे होंगे जिन्हें सपरिषद् गवर्नर जनरल या इस निमित्त सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा प्राधिकृत स्थानीय शासन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (3) और उसके परन्तुक का लोप किया गया ।
[6] 1903 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "ब्रिटिश भारत के या बरार में किसी कारागार" के स्थान पर प्रतिस्थापित, "या बरार में किसी कारागार" शब्दों को 1923 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था ।
[9] 1950 के अधिनियम सं० 29 की धारा 4 द्वारा "अथवा, सम्बद्ध राज्य सरकार की सहमति से किसी अन्य राज्य के किसी कारागार में" शब्दों का लोप किया गया ।

(2) [1][उसी प्रकार कारागार-महानिरीक्षक, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए और उसके नियंत्रण के अधीन] राज्य के किसी कारागार में यथा पूर्वोक्त परिरुद्ध किसी बन्दी को हटाकर उस राज्य के किसी अन्य कारागार में भेजने की व्यवस्था कर सकेगा [2]*** ।]

30. पागल बन्दियों के संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई की जाए—(1) जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी न्यायालय के किसी आदेश या दण्डादेश के अधीन निरुद्ध या कारावासित कोई व्यक्ति विकृतचित्त है, वहां राज्य सरकार, वारण्ट द्वारा, जिसमें उसके इस विश्वास के आधार दिए जाएंगे कि वह व्यक्ति विकृतचित्त है, यह आदेश दे सकेगी कि उसे हटाकर उस राज्य के भीतर किसी पागलखाने या निरापद अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान को भेज दिया जाए तथा वहां उसे उस अवधि के, जिसके लिए उसे निरुद्ध या कारावासित रखने का आदेश या दण्डादेश दिया गया था, शेष भाग के दौरान, अथवा यदि उस अवधि की समाप्ति पर चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणपत्र दे दे कि उस बन्दी अथवा दूसरों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसे चिकित्सीय देखरेख में या उपचार के लिए और निरुद्ध रखना चाहिए तो, जब तक कि वह विधि के अनुसार उन्मोचित नहीं कर दिया जाता, राज्य सरकार जैसे निदेश दे वैसे रखा जाए तथा उसका उपचार किया जाए ।

(2) जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि बन्दी स्वस्थचित्त हो गया है वहां राज्य सरकार, बन्दी का, यदि वह तब भी अभिरक्षा में रखे जाने का दायी हो, भारसाधन रखने वाले व्यक्ति को निदेशित वारण्ट द्वारा, बन्दी को उस कारागार को जहां से उसे हटाया गया था, या राज्य के भीतर के किसी अन्य कारागार को प्रतिप्रेषित करेगी, अथवा यदि बन्दी अभिरक्षा में और अधिक रखे जाने का दायी नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देने का आदेश देगी ।

(3) लुनेटिक असाइलम्स ऐक्ट 1858[3] (1858 का 36) की धारा 9 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन किसी पागलखाने में परिरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् लागू होंगे; जिसके लिए उसे निरुद्ध या कारावासित रखने के आदेश या दण्डादेश किए गए थे, और वह समय जिसके दौरान उस उपधारा के अधीन किसी पागलखाने में कोई बन्दी निरुद्ध रहा है उसके निरोध या कारावास की अवधि के भाग के रूप में गिना जाएगा जिसे भुगतने के लिए उसे न्यायालय द्वारा आदेश या दण्डादेश दिया गया था ।

[4][(4) किसी ऐसी दशा में, जिसमें राज्य सरकार किसी बन्दी को हटाकर राज्य के भीतर के किसी पागलखाने या निरापद अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान को भेजे जाने का आदेश उपधारा (1) के अधीन देने के लिए सक्षम है, राज्य सरकार यह आदेश दे सकेगी कि उसे हटा कर किसी अन्य राज्य के भीतर या [5][भारत के किसी ऐसे भाग के भीतर जिस पर इस अधिनियम का विस्तार नहीं है,] उस अन्य राज्य की राज्य सरकार [6]*** के साथ करार द्वारा, किसी पागलखाने या स्थान को भेज दिया जाए; और उपधारा (1) के अधीन हटाए गए किसी बन्दी की अभिरक्षा, निरोध, प्रतिप्रेषण और उन्मोचन के सम्बन्ध में इस धारा के उपबन्ध, जहां तक वे लागू किए जा सकते हैं, इस उपधारा के अधीन हटाए गए किसी बन्दी को लागू होंगे ।]

31. [एक स्थानीय सरकार के अधीन राज्यक्षेत्रों से दूसरी स्थानीय सरकार के अधीन राज्यक्षेत्रों को बन्दियों का हटाया जाना ।]—संशोधन अधिनियम, 1903 (1903 का 1) की धारा 4 और अनुसूची 3 द्वारा निरसित ।

भाग 7

निर्वासन के दण्डादेश के अधीन व्यक्ति

32. निर्वासन के दण्डादेश के अधीन व्यक्तियों को निरुद्ध रखने के स्थानों का नियत किया जाना और उन्हें वहां भेजा जाना—[7][(1)] [8][राज्य सरकार] [9][राज्य] के भीतर ऐसे स्थान नियत कर सकेगी जहां निर्वासन के लिए दण्डादिष्ट व्यक्तियों को भेजा जाएगा; और [8][राज्य सरकार] या [8][राज्य सरकार] द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी उन व्यक्तियों को इस प्रकार नियत स्थानों को भेजने का आदेश उस दशा के सिवाय देगा जब निर्वासन का दण्डादेश किसी ऐसे व्यक्ति को दिया गया हो जो किसी अन्य अपराध के लिए उसके पहले से पारित किसी दण्डादेश के अधीन निर्वासन पहले से ही भुगत रहा हो ।

[10][(2) ऐसी किसी दशा में, जिसमें राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन राज्य के भीतर स्थान नियत करने और निर्वासन के लिए दण्डादिष्ट व्यक्तियों को हटाकर वहां भेजने का आदेश देने के लिए सक्षम है, राज्य सरकार किसी अन्य राज्य की राज्य सरकार के साथ करार कर के उस राज्य में ऐसे स्थान नियत कर सकेगी, और वैसे ही करार द्वारा उन व्यक्तियों को वहां हटाने के आदेश दे सकेगी या आदेश देने के लिए किसी अधिकारी को सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर सकेगी ।]

---

[1] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय शासन और (उसके आदेशों के अधीन रहते हुए और उसके नियंत्रणाधीन)" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "अथवा मध्य प्रान्त में किसी कारागार में इस प्रकार परिरुद्ध किसी बन्दी की दशा में उसे, प्रान्त में किसी अन्य कारागार को या बरार में किसी कारागार को हटाकर भेजने की व्यवस्था कर सकेगा" शब्दों का लोप किया गया जिन्हें 1923 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया था ।

[3] अब देखिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) ।

[4] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा मूल उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "कोई भाग ख राज्य" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "या, यथास्थिति, ऐसे राज्य या उसके शासक" शब्दों का लोप किया गया ।

[7] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1, द्वारा धारा 32 उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित की गई ।

[8] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा "ब्रिटिश भारत" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्त:स्थापित ।

भाग 8

बन्दियों का उन्मोचन

33. ऐसे बन्दी का, जिसे क्षमा करने की सिफारिश की गई है, उच्च न्यायालय के आदेश से मुचलके पर छोड़ा जाना—[1][कोई उच्च न्यायालय] किसी ऐसी दशा में, जिसमें उसने किसी बन्दी को मुक्त क्षमा दान करने की सिफारिश [2][सरकार] से की है, उसे उसके ही मुचलके पर छोड़ देने की अनुज्ञा दे सकेगा।

भाग 9

बन्दियों की हाजिरी की अपेक्षा करने और उनका साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित उपबन्ध

34—52.—बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं० 32) की धारा 10 द्वारा निरसित।

53. [निरसन।]—रिपीलिंग एण्ड अमेंडिंग ऐक्ट, 1914 (1914 का अधिनियम सं० 10) की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा निरसित।

[प्रथम अनुसूची।]—*** बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं० 32) द्वारा निरसित।

[द्वितीय अनुसूची।]—बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं० 32) द्वारा निरसित।

[तृतीय अनुसूची।]—रिपीलिंग एण्ड अमेंडिंग ऐक्ट, 1914 (1914 का अधिनियम सं० 10) की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा निरसित।

———

[1] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "कोई न्यायालय, जो भाग क राज्य का उच्च न्यायालय है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मेजेस्टी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।